

कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़

परमिट संख्या: 66 / मानचित्र / जि0प0 / 2023-24

दिनांक 03 मई, 2023

मॉ शिवमूर्ति कालेज ऑफ फार्मसी, भोर्रामकबूलपुर, आजमगढ़

प्रबन्धक,

श्री अभिषेक कुमार राय पुत्र श्री अशोक राय

निवासी ग्राम व पोस्ट-जोलहापुर,

तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़


अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2023 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि गाटा संख्या-87/1/2.907 हे0 में से कुल अकृषक भूमि 0.815 हे0 अर्थात 8150.00 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर उक्त विद्यालय निर्मित है। उक्त भवन रमनपुर-जोलहापुर मार्ग से पूरब दिशा में लगभग 75 मीटर की दूरी पर मौजा- भोर्रामकबूलपुर, परगना- निजामाबाद तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ में निर्मित है। उक्त भवः मॉ शिवमूर्ति, कालेज ऑफ फार्मसी भोर्रामकबूलपुर, आजमगढ़ कुल आच्छादित क्षेत्रफल 3408.96 वर्ग मी0 पर प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 03-06-2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मा0 अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 03-06-2023 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत आजमगढ़ की भवन निर्माण उपविधि इलाहाबाद शनिवार 12 मई, 2018 भाग-3 के खण्ड "घ" जिला पंचायत के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
3. प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कंट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबंध यह रहेगा कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया 3408.96 वर्ग मी0 एवं ओपन एरिया 8398.02 वर्ग मी0 से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
7. प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 10 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
8. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों को अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
9. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
10. प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
11. प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
12. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।

13. स्वीकृति मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305मी0) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
14. राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल का दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मी0 और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मी0 होना आवश्यक है।
15. विद्यालय भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
16. शौचालय का निर्माण फलस टाइप का होना चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
17. भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण तद्वत निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
19. उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, आजमगढ़ इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, आजमगढ़ होगा।
21. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
22. भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
23. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कुल अकृषक भूमि 0.815 हे0 अर्थात् 8150.00 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के सापेक्ष भू आच्छादन 1751.98 वर्ग मी0 अर्थात् कुल क्षेत्रफल का 21.50 प्रतिशत एवं कुल आच्छादित क्षेत्र 3408.96 वर्ग मी0 है, इस प्रकार स्वीकृत मानचित्र का एफ0ए0आर0 0.42 है, जो कि जिला पंचायत आजमगढ़ भवन मानचित्र निर्माण उपविधि के निर्धारित प्रस्तरों में उल्लेखित नियमों के अनुरूप है।
24. लेबर शेष का भुगतान एवं औपचारिकताएं श्रम विभाग के नियमों के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेदारी एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा अन्यथा की स्थिति में बिना कारण बताए नक्शे की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
25. स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, आजमगढ़ की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. संलग्नक: मानचित्र 03 प्रतियों में।


 अभियन्ता
 30/11/23
 जिला पंचायत, आजमगढ़


 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, आजमगढ़

ब्रह्मचिन्तन पाठना श्रुत्य

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5
(नियम 41 देखिये)

बुल साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिड पेन्सिल से लिखा जायेगा)
परिषद् जिले के नाम सहित 0504063
संख्या
जिस्टर
संख्या 47740 (मिनी ए एन) के पूर्ण आंशिक भुगतान के मदद प्राप्त हुआ।

रुपया 47740 = 00 मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

कार्यालय
03/06/23
कर-समाहर्ता (वै.स. व.लेक्ट)
रोकड़िया
मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक
कर अधिकारी।

मूल्य = 47740 = 00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या _____ रसीद संख्या 0504063

रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम _____

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि _____








रसीद के अनुमार किस मद्दे वसूल की गई _____

रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने _____

धनराशि वसूल की _____

इस कूपन को जमा करने वाले _____

अधिकारी का नाम तथा पदनाम _____



NAME OF TRUST: DR. RAMAKRISHNA RAU FOUNDATION AT VILL. & POST: JOJANPURA, TAH: SAGARI DIST: AZAMGARH, STATE: UTTAR PRADESH	NAME OF THE INSTITUTE: VALLABH BROSAR, MANJURPUR POST: KISHINPUR, TEHsil: SONBET DIST: AZAMGARH, STATE: UTTAR PRADESH PROGRAMME: DIPLOMA IN HUMANITY
GAIA NO. - 87/1	TOTAL AREA OF LAND 8149 SQ.M
AREA STATEMENTS	50.42 MT
1. COVD AREA ON GP	1751.98 SQ.M
2. COVD AREA ON F.F.	1600.98 SQ.M
1. COVD AREA ON MANTY	56.0 SQ.M
TOTAL COVD AREA	3408.96 SQ.M
ACHIEVED F.A.R.	0.420
% GROUND COVERAGE	21.62-21.30%
INDEX	
CLASS ROOM = 102.72 SQ.M	
PRINCIPAL RM = 24.93 SQ.M	
EXAM CONTROL = 50.58 SQ.M	
FACULTY ROOM = 40.36 SQ.M	
BOARD ROOM = 24.93 SQ.M	
CENTRAL STORE = 50.58 SQ.M	
THE SHEET TOLLE = 150.0 SQ.M	
FIRST AID CUM SICK ROOM = 23.69 SQ.M	
PANTRY = 25.23 SQ.M	
HOUSE KEEPING = 15.11 SQ.M	
COMPUTER CENTER & LANGUAGE	
LAB = 152.05 SQ.M	
STATIONARY = 24.93 SQ.M	
MACHINE ROOM = 101.76 SQ.M	
LABORATORY = 76.06 SQ.M	
TUTORIAL = 50.42 SQ.M	
GIRLS COMMON RM = 78.33 SQ.M	
BOYS COMMON RM = 78.01 SQ.M	
ANIMAL HOUSE = 47.24 SQ.M	
OFFICE ALL INCL = 152.99 SQ.M	
LIBRARY & READING ROOM = 155.40 SQ.M	
LIBRARY HALL = 152.05 SQ.M	
CATERING HALL = 155.40 SQ.M	
SECURITY ROOM = 10.0 SQ.M	
ASPETIC ROOM = 25.95 SQ.M	
STORE INFILAMMABLE = 24.93 SQ.M	
HOD ROOM = 24.78 SQ.M	
MAINTENANCE = 24.78 SQ.M	
PLACEMENT OFFICE = 50.58 SQ.M	

NORTH

SCALE

AS/SHOWN

CONCEPT DESIGNERS:
ARCHITECTS: ENGINEERS & INTERIORS DESIGNERS: VAUWERS
HEAD OFFICE: C-10 SAVANA SHOPPING CENTRE
PULVAND ROAD, U.D.

ARCHITECT SIGN
OWNER SIGN